

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1974
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: मृदा रहित कृषि को बढ़ावा देना

1974. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स जैसी मृदा रहित कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय सहायता, सब्सिडी या प्रोत्साहन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पात्रता मानदंड और संवितरण तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार समेकित बागवानी विकास मिशन को कार्यान्वित कर रही है, जो बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां, कंद और मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एमआईडीएच के अंतर्गत शामिल हैं।

एमआईडीएच योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी मृदा रहित कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सहायता के पैटर्न के साथ लागत मानदंडों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	घटक का नाम	लागत मानदंड	सहायता का पैटर्न
1	हीड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स	350/- रुपये प्रति वर्ग मीटर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइबरेंट विलेज, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में उपरोक्त दरें 15% अधिक होंगी।	प्रति लाभार्थी अधिकतम 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता या छोटे क्षेत्रों के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।

सरकार देश में फसलोपरान्त प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर में मौजूदा अंतराल को दूर करने के उद्देश्य से एगी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) को भी कार्यान्वित कर रही है। एआईएफ ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराता है, जिसकी ब्याज दर 9% है, तथा 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% अतिरिक्त ब्याज सब्वेंशन भी दिया जाता है। एआईएफ सटीक खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियों का भी समर्थन करता है, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी मृदा रहित खेती तकनीकें भी शामिल हैं।

एआईएफ योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप, प्राइमरी कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी), राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघ, किसान उपज संगठन (एफपीओ), एफपीओ के संघ और स्वयं सहायता समूह संघ (एसएचजी) शामिल हैं। पात्र लाभार्थियों को परियोजना के लिए प्रमोटर के योगदान के रूप में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% बनाए रखना होगा।

उपरोक्त के अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थान और विश्वविद्यालय देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकियों के विकास और मानकीकरण में लगे हुए हैं। आईसीएआर-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बेंगलुरु, आईसीएआर- केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला और आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (सीआईएसएच), लखनऊ हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स को अपनाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इच्छुक स्टैकहोल्डर्स को प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान कर रहे हैं। कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय भी देश के जल संकट वाले क्षेत्रों में किसानों को इन प्रौद्योगिकियों के लाभों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।
